न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी– सुनील कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र– 81/2020

प्रार्थी–

1. रशीद खान पुत्र रफीक खान जाति कायमखानी , निवासी– अजमेरी गेट के अन्दर वार्ड संख्या 15 नागौर, जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री ओमप्रकाश गोदारा।
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक :– 13/8/22

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम रशीद खान पुत्र रफीक खान ही है। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा कसनाउ तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 388 के खसरा नम्बर 48 में नाबालिक घींसूखां पुत्र रफीक खां सरक्षंक जरीना बानो सहखातेदार दर्ज है, जबकि प्रार्थी के ड्राईविंग लाईसेंस नंबर आरजे21 20190006900, पैन कार्ड संख्या एचईओपीके8698एच , बैंक ऑफ इंडिया के खाता संख्या 746110110003755 की डायरी, राशन कार्ड संख्या 110501500461 , आधार कार्ड संख्या 3574 0306 9934, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10 की अंकतालिका संख्या 0451752 एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में सलंग्न शपथ पत्र मे प्रार्थी का सही नाम रशीद खान पुत्र रफीक खान दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक दिनांक 16.05.2022 को मय हल्का पटवारी गेलोली की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी का नाम ऑनलाईन जमांबदी संम्वत 2073–2076 स्थायी में नाबालिक घींसूखां पुत्र रफीक खां सरक्षंक जरीना बानोखातेदार दर्ज है। जबकि प्रार्थी के मौजा कसनाउ तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 388 के खसरा नम्बर 48 में सहखातेदार के रूप में

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned by Scanner Go

दर्ज है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात् यथा ड्राईविंग लाईसेंस नंबर आरजे21 20190006900, पैन कार्ड संख्या एचईओपीके8698एच , बैंक ऑफ इंडिया के खाता संख्या 746110110003755 की डायरी, राशन कार्ड संख्या 110501500461 , आधार कार्ड संख्या 3574 0306 9934, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10 की अंकतालिका संख्या 0451752 एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में सलंग्न शपथ पत्र में नाम रशीद खान पुत्र रफीक खान दर्ज है। प्रार्थी को गांव में बोलचाल में घीसूखां नाम से पुकारने के कारण विरासत के नामान्तकरण को दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम घीसूखां दर्ज किया गया था। उपस्थित मौतबिरानों ने रसीदखान पुत्र रफीकखान तथा घीसूखां दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी गेलोली तहसील जायल की रिपोर्ट ड्राईविंग लाईसेंस नंबर आरजे21 20190006900, पैन कार्ड संख्या एचईओपीके8698एच , बैंक ऑफ इंडिया के खाता संख्या 746110110003755 की डायरी, राशन कार्ड संख्या 110501500461 , आधार कार्ड संख्या 3574 0306 9934, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10 की अंकतालिका संख्या 0451752 एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में सलंग्न शपथ पत्र तथा मौजा कसनाउ तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 388 के खसरा नम्बर 48 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में मौजा कसनाउ तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 388 के खसरा नम्बर 480 में प्रार्थी का नाम नाबालिक घींसूखां पुत्र रफीक खां सरक्षंक जरीना बानो के स्थान पर रसीदखान पुत्र रफीक खान शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मौजा कसनाउ तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 388 के खसरा नम्बर 48 की भूमि जो कि प्रार्थी को पुश्तैनी बडेर की भूमि जो कि विरासत नामान्तकरण से प्राप्त हुई है तथा सहखातेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार ड्राईविंग लाईसेंस नंबर आरजे21 20190006900, पैन कार्ड संख्या एचईओपीके8698एच , बैंक ऑफ इंडिया के खाता संख्या 746110110003755 की डायरी, राशन कार्ड संख्या 110501500461 , आधार कार्ड संख्या 3574 0306 9934, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10 की अंकतालिका संख्या 0451752 एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में सलंग्न शपथ पत्र की फोटो प्रति में प्रार्थी रसदीखान पुत्र रफीक खान एवं घीसूखां पुत्र रफीक खान एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned by Scanner Go

जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी का सही नाम जो कि नामान्तकरण के समय रसीदखान पुत्र रफीकखान के स्थान पर घीसूखां दर्ज हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि रसीदखान एवं घीसूखां दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा कसनाउ तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 388 के खसरा नम्बर 48 में दर्ज सहखातेदार नाम नाबालिक घींसूखां पुत्र रफीक खां सरक्षंक जरीना बानो के स्थान पर वास्तविक नाम रसीद खान पुत्र रफीक खान दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे मौजा कसनाउ तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 388 के खसरा नम्बर 48 में दर्ज सहखातेदार नाम नाबालिक घींसूखां पुत्र रफीक खां सरक्षंक जरीना बानो के स्थान पर रशीद खान पुत्र रफीक खान दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक [illegible]/22 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned by Scanner Go